

डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई  
(ओ. 20 रू. 6 -7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना (बाडमेर)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमति कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या 54/2014

वादीनी - श्रीमती हंजादेवी पुत्री सुखपुरी पत्नी श्री डूंगरपुरी जाति स्वामी निवासी  
गोलिया तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज

बनाम

प्रतिवादीगण -


1. सुखपुरी पुत्र धुडपुरी जाति स्वामी निवासी गोलिया (फौत)
2. भंवरपुरी पुत्र संतोकपुरी जाति स्वामी निवासी गोलिया
3. चन्द्रादेवी पत्नी संतोकपुरी जाति स्वामी निवासी गोलिया
4. मनोहरसिंह पुत्र श्री उमसिंह जाति राजपूत निवासी गोलिया
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिवाना

दावा बाबत अभिलेख सुधार, घोषणा एवं बंटवाडा

दिनांक - 06.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीनी स्वयं उपस्थित मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दई प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वादीनी का वाद राजीनामा दिनांक 19.03.2020 अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि खेत खसरा संख्या 560, 561 रकबा क्रमशः 26.03 व 1.00 बीघा कुल रकबा 27.03 बीघा सरहद मौजा गुंगरोट में 1/3 हिस्से में वादीनी को खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादीनी के कब्जा काशत की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी, बाधा नहीं करे। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करे। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.10.2021 को जारी की गई।



  
(कुसुमलता चौहान)  
सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) सिवाना

दिनांक 28.01.2022

क्रमांक: वाचक/2021/167

प्रतिलिपि - वास्ते पालनार्थ

भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

  
(कुसुमलता चौहान)  
सहायक कलक्टर



प्रशासन गांवों के संग कैम्प कोर्ट गोलिया  
S.D.O. सिवाना